न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 10/2025

राजस्थान सरकार जरिये अतुल कुमार बडाया, प्रर्वतन निरीक्षक, सावर, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री मुकेश कुमार तैली पुत्र श्री नन्दलाल तैली

फर्म श्री कृष्णा किराणा जनरल स्टोर

देवली चौराहा सावर जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री फारूख खान – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.03.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2024 को श्री अतुल कुमार बड़ाया, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह खैमाराम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते श्री कृष्णा किराणा जनरल स्टोर देवली चौराहा सावर पर पहुॅचे मौके पर वक्त जांच फर्म के मालिक ने अपना नाम श्री मुकेश कुमार तैली पुत्र श्री नन्दलाल तैली सावर बताया मौके पर उक्त दुकान की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडे हुये पाये गये है। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। मौके पर श्री मुकेश कुमार तैली ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल मार्का के पाये गये मौके पर श्री राधेकृष्णा भारत गैस एजेन्सी सावर के कार्यकर्ता श्री रामअवतार बैरवा को बुलवाकर वजन तौल कार्यवाही करवायी गयी। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	283745 S	BPCL	20.0	15.6	4.400
2	225588 T	BPCL	18.0	16.6	1.400

इस प्रकार श्री मुकेश कुमार तैली द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5.800

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

किलोग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स श्री राधेकृष्णा भारत गैस एजेन्सी सावर को जरिये प्रतिनिधी श्री शिवभानू प्रताप सिंह अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है। श्री मुकेश कुमार तैली पुत्र श्री नन्दलाल तैली मालिक फर्म श्री कृष्णा किराणा जनरल स्टोर देवली चौराहा सावर जिला केकडी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 05.800 किग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पत्रावली जिला कलक्टर केकडी अजमेर से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.10.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) एवं 7 (1) सी का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 05.800 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नही है। शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 18.10.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है एवं अप्रार्थी द्वारा जवाब में भी जुर्म स्वीकार किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 05.800 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर